108

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 पुनरीक्षण निग/3989/III-15

दिनेश कुमार पुत्र गेंदालाल
निवासी ग्राम आमोलपठा तह. करैरा
जिला शिवपुरी म.प्र.

..........आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन

... .अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्र.क. 71/11–12/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण जानकारी दिनांक 28.10.2015 से अवधि अंदर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार पेश है :–

पुनरीक्षण के संक्षेप मे तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भ्ाासकीय भूमि ग्राम आमोलपठा के खाते से लगी भूमि सर्वे क्र. 298 रकवा 0.16 हे. एवं 299 रकवा 0.80 हे. कुलकिता 2 कुल रकवा 0.96 हे. आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्र.क्र. 17/अ–19/05–06 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत् उद्योषणा जारी की गई। आपत्तियाँ बुलाई गई तथा विधिवत् नियमो का पालन किया जाकर आदेश दि. 03–02–06 से व्यवस्थापन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तह. करैरा द्वारा अपने ही आदेश दिनांक 03–02–06 को आदेश दिनांक 26–05–07 से उक्त व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर दिया गया, जब कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश को पुनार्विलोकन की अनुमति लिए बिना निरस्त कर दिया गया।

2. यह कि, आवेदक द्वारा उक्त आदेश के बिरूद्ध अपील अनु.वि.अधि. करैरा के समक्ष प्र. क. 13/अपील/08–90 पर दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 04–05–11 से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 305/10–11/निगरानी लंबित है फिर भी तहसीलदार करैरा द्वारा एक प्रथक से आदेश दिनांक 13.09.2012 से पारित कर आवेदक को बेदखल करना चाहता है। उक्त आदेश से दुखित होकर पुनरीक्षण निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्तनीय है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3989–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

दिनेश कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 71/2011–12/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 13–09–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	